न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2016/00049/223

1. जगदीश प्रसाद पुत्र देवकिशन, जाति ब्राहम्ण, निवासी मेवदाकंला,तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती तीजा बेवा बद्रीलाल (फौत—नाम तर्क)
2. गोविन्द नारायण पुत्र बद्रीलाल,
3. शिवप्रकाश पुत्र बद्रीलाल,
4. रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल,
5. सावित्री पुत्री बद्रीलाल,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 3.11.2015 अंतर्गत वाद संख्या 96/2008.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री जी0एस0लखावत, वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5.

निर्णय

दिनांकः— 8.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश निवेदन किया कि ग्राम मेवदाकला, तहसील केकड़ी स्थित आराजियात खाता संख्या नये 270 पुराने 359 के वाद वर्णित खसरा नंबरान की आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी सहकाश्तकारी की है । उक्त आराजियात वादी जगदीश प्रसाद एवं बद्रीलाल पुत्रान देवकिशन को अपने पिता देवकिशन से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादी/अपीलांट जगदीश प्रसाद का 1/2 हिस्सा तथा अपीलांट के सगे भाई बद्रीलाल के वारिसान यथा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा निहित है । अपीलांट के पिता देवकिशन का लगभग 40 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है । तत्समय दोनों भाईयों के मध्य आपसी बंटवारा हो गया और उक्त बंटवारे के अनुसार ही अलग—अलग काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन रिकार्ड में पृथक—पृथक दर्ज नहीं होने से ऋण प्राप्त करने एवं भूमि को विकसित करने में परेशानी होती है । अतः वाद वादी स्वीकार कर बंटवारे की डिक्री पारित की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.2.2012 को

वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक आज्ञाप्ति जारी की तहसीलदार, केकड़ी को बंटवारा प्रस्ताव पारित करने हेतु आदेश पारित किये । तहसीलदार, केकड़ी ने दिनांक 28.6.2013 को वर्षो पूर्व आपसी सहमति से हुए बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले आने की भौतिक स्थिति अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये । तत्पश्चात् प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने नया बंटवारा प्रस्ताव बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव हेतु रिपोर्ट मांगी गई जिस पर दिनांक 3.11.2015 को नई कुरेजात रिपोर्ट कैम्प मेवदाकंला में ही तैयार कर वहीं पर प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.11.2015 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.11.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा पुनः तलब की गई कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 11.6.2015 कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में तैयार की गई लेकिन उक्त कैम्प कोर्ट के नोटिस न तो अपीलांट को जारी किए गए न ही तामील करवाये। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को कुरेजात रिपोर्ट पर सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में वाद में बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । पक्षकारान 30–40 वर्ष पूर्व हुए आपसी बंटवारे के अनुसार मौके पर अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु इसके विपरीत कैम्प में बैठे–बैठे ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपीलांट की अनुपस्थिति में भौतिक कब्जे के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध है । तहसीलदार स्वंय ने मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किए है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा भी उनके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के पैरा संख्या 3 में मौके पर अनुमानित आधार पर काबिज काश्त होने एवं विधिक रूप से बंटवारा नहीं होने बाबत् कथन अंकित किए है एवं अतिरिक्त कथनों में भी अंकित किया है कि पक्षकारान की सहमति से बंटवारा किया जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावे । संपूर्ण आराजियात में 0.15 है0 भूमि गै0मु0पाल है जो संपूर्ण वादी/अपीलांट के हिस्से में रख दी गई एवं कदीमी कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नंबर 2538, 2539, 2081, 2106 संपूर्ण एवं खसरा नंबर 2545 का अधिकतम उत्तरी हिस्सा आपसी बंटवारे अनुसार अपीलांट के कब्जे काश्त में चला आ रहा है तथा खसरा नंबर 2080, 2124, 2542/3598, 2544, 2555 संपूर्ण तथा 2545 का लगभग 1/3 दक्षिणी हिस्सा रेस्पो0 के कब्जे में चला आ रहा है लेकिन अंतिम डिक्री उक्त आपसी बंटवारे अनुसार कब्जे काश्त की स्थिति के विपरीत जारी की गई है । बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.11.2015 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी मेवदाकंला एवं भू–अभिलेख निरीक्षक केकड़ी तथा तहसीलदार, केकड़ी द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 11.6.2015 को मौके पर गए बिना कैम्प कोर्ट स्थल पर ही ग्राम मेवदाकंला में कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर शामिल मिसल की गई है जिसकी अपीलांट को जानकारी नही थी । दिनांक 3.11.2015 को अपीलांट की जानकारी के बिना अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जिसकी

अपीलांट को न्यायालय अथवा उनके अभिभाषक द्वारा जानकारी नहीं दी गई । दिनांक 6.12.2015 को जब रेस्पो0 मौके पर आंकर अंतिम आज्ञाप्ति जारी होने एवं उसी अनुसार मौके पर कब्जा करने की धमकी दी तब दिनांक 7.12.2015 को प्रार्थी केकड़ी जाकर अधिवक्ता से मिला जिन्होंने उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 6.1.2016 को नकले प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा पुनः बंटवारा प्रस्ताव तलब किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अधी0न्याया0 को बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधी0न्याया0 ने अभिभाषकगण की मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव सुनाया गया था जिसे उपस्थिति अभिभाषकगण ने स्वीकार किया है । यदि अपीलांट बंटवारा प्रस्ताव से सहमत नही थे तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्ति पेश करनी चाहिये थी । तहसीलदार ने भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये है जो विधिसम्मत् है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम डिक्री भी विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपील में हुए विलंब के संबंध में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पुनः तलब की गई कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 11.6.2015 कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में तैयार की गई लेकिन उक्त कैम्प कोर्ट के नोटिस न तो अपीलांट को जारी किए गए न ही तामील करवाये। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को कुरेजात रिपोर्ट पर सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में वाद में बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद दिनांक 23.2.2012 का प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार, केकड़ी को विवादित आराजियात बाबत् बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये थे । अधी0न्याया0 के उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार, केकड़ी द्वारा दिनांक 9.7.2013 को बंटवारा प्रस्ताव अधी0न्याया0 को प्रेषित किये गये । बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 23.1.2014 को वकील प्रतिवादी ने बंटवारा प्रस्ताव पुनः बनवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 30.4.2014 को उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार, केकड़ी को उभयपक्षों की मौजूदगी में पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये । अधी0न्याया0 के उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार, केकड़ी द्वारा नवीन बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.6.2015 को तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये गये, जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद में अंतिम डिक्री दिनांक 3.11.2015 को पारित की है। तहसीलदार, केकड़ी द्वारा नवीन बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्षकारान को मौके पर तलब किये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है, ना ही बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट

एवं अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर है, केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 4 रामगोपाल के हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11.6.2015 तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया तथा पक्षकारान की गैरमौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित की गई है । तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान को सूचित कर उनकी मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिये थे। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, केकड़ी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.6. 2015 एवं उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.11.2015 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.11.2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, केकड़ी को उभयपक्ष की मौजूदगी में विवादित आराजियात के संबंध में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित कर, बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 8.12.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर